

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

95/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2023/271

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1. भंवरी पत्नि माधाराम
2. सुजकी पत्नि सजाराम
जाति भील निवासी भीलो का वास,
पचपदरा तहसील पचपदरा व जिला
बालोतरा

1. कलाराम पुत्र प्रभूराम
2. जैसलिया पुत्र रामा
3. प्रेमराज पुत्र माधाराम
4. वजीया पुत्र रामा
5. सुरेश पुत्र सजाराम जाति भील निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत अधिवक्ता वादीगण
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5
3. प्रतिवादी संख्या 06 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक- 18.12.2025



संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा मण्डापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 145, 153, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 क्षेत्रफल 22.9153 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 17.6.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ द्वारा

(Handwritten signature)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी करने की सहमति दी गई। जो बाद सुनवाई विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मण्डापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 145, 153, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 क्षेत्रफल 22.9153 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्रं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	वरंग
1	कलाराम पुत्र प्रभुराम जाति भील सा. देह हिस्सा पूर्ण रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा पचपदरा के पक्ष में	मंडापुरा	153 289 291 292 293 294 295 296	0.7114 0.4787 1.1843 0.9232 0.9358 1.9855 2.5925 0.6703	A
2	प्रेमराम पुत्र मादाराम हिस्सा 1/6 जाति भील सा. पचपदरा खातेदार, भंवरीदेवी पत्नी मादाराम हिस्सा 1/6 जाति भील सा. पचपदरा खातेदार वजाराम पुत्र रामाराम हिस्सा 1/3 जाति भील सा. पचपदरा खातेदार सूजकीदेवी पत्नी सजाराम हिस्सा 1/6 जाति भील सा. पचपदरा खातेदार सुरेश पुत्र सजाराम हिस्सा 1/6 जाति भील सा. पचपदरा खातेदार	मंडापुरा	153	0.4268	B
3	जेसलराम पुत्र रामाराम हि. 1/4 जाति भील सा. पचपदरा खातेदार प्रेमराम पुत्र मादाराम हि. 1/8 जाति भील सा. पचपदरा खातेदार भंवरी देवी पत्नी मादाराम हि. 1/8 वजाराम पुत्र रामाराम हि. 1/4 सुजकी देवी पत्नी सजाराम हि. 1/8 सुरेश पुत्र सजाराम हि. 1/8 जाति भील सा. पचपदरा खातेदार	मंडापुरा	290 291 289	2.0614 1.1300 5.5789	C



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

4	कलाराम पुत्र प्रभुराम हि. 8/9 प्रेमाराम पुत्र मादाराम हि. 1/9 जाति भील सा. पचपदरा खातेदार	मंडापुरा	145	2.3831	D
5	जेसलराम पुत्र रामाराम हिस्सा पूर्ण जाति भील सा. पचपदरा खातेदार	मंडापुरा	145	0.5295	E
6	सुजकीदेवी पत्नी सजाराम हिस्सा पूर्ण जाति भील सा. पचपदरा खातेदार	मंडापुरा	145	0.2648	G
7	भंवरीदेवी पत्नि मादाराम हिस्सा 1/4 वजाराम पुत्र रामाराम हिस्सा 1/2 सुरेश पुत्र राजाराम हिस्सा 1/4 जाति भील सा. पचपदरा खातेदार	मंडापुरा	145	1.0591	F

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण करके बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(अशोक कुमार) 18/12/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18-12-2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा 18/12/2025



डिक्री-पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 95/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/271

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरी पत्नि माघाराम
2. सुजकी पत्नि सजाराम
जाति भील निवासी भीलो का वास,
पचपदरा तहसील पचपदरा
व जिला बालोतरा

1. कलाराम पुत्र प्रभूराम
2. जैसलिया पुत्र रामा
3. प्रेमराज पुत्र माघाराम
4. वजीया पुत्र रामा
5. सुरेश पुत्र सजाराम
जाति भील निवासी पचपदरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर:-95/2023

निर्णय दिनांक :-18.12.2025

वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी की उपस्थिति इस वाद में आज तारीख 18.12.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 18.12.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	---	जोड़	---




 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा